

ऑन लाईन नं. GCMS2024/19

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 17/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान - विक्रेता व प्रोपराईटर-
मै० चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत सिंह कोलोनी, गली. न. 1, श्रीगंगानगर।
2. श्री हितेश तुलसानी पुत्र श्री नारायण दास तुलसानी, नोमिनी आईसी मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि. एफ-17, बीछवाल इंडस्ट्रीज एरिया, बीकानेर
3. मै. नग नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि. ई-126, इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, खारा, बीकानेर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51&52

निर्णय

दिनांक: 10.01.2025

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:- आयुक्ता०/खासुओनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.03.2023 को समय 03.15 बजे मैसर्स चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत कोलोनी, गली नं. 1, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, मौके पर श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान (विक्रेता व प्रोपराईटर) को अपना परिचय देकर संस्थान के अंदर रखे खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) पोली पैकेटों बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) 320-320 ग्रम के 50 पैकेटों को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान ने व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान(विक्रेता एवं प्रोपराईटर) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान(विक्रेता एवं



अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

प्रोपराईटर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) 320-320 ग्राम के 04 मूल सील पोली पैकेटों को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) का नगद भुगतान 200/- रुपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और आवेदक अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।


आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) के पोली पैकेटों को गत्ता बॉक्स में पैक कर 4 नमूने तैयार कर व उस पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-1715 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1715 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान(विक्रेता एवं प्रोपराईटर) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./414/Act/2023/414 Dated 06.04.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1715 Sub-standard Food & Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान (विक्रेता व प्रोपराईटर) मै0 चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत सिंह कोलोनी, गली. न. 1, श्रीगंगानगर, श्री हितेश तुलसानी पुत्र श्री नारायण दास तुलसानी, नोमिनी आईसी मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि. एफ-17, बीछवाल इंडस्ट्रीज एरिया, बीकानेर और मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि. ई-126, इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, खारा, बीकानेर द्वारा अमानक स्तर का Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 19.02.2024 को प्रस्तुत किया गया।




अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंवर ने वकलतनामा प्रस्तुत किया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिए अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी मै. चुघ ट्रेडिंग कंपनी, श्रीगंगानगर का स्वामी है और अप्रार्थी की फर्म द्वारा कन्फेक्शनरी का कार्या होलसेल के रूप में किया जाता है। अप्रार्थी की फर्म द्वारा कंफनेक्शनरी की किसी भी वस्तु का निर्माण श्रीगंगानगर में नहीं किया जाता, बल्कि बाहर की फर्मों से माल खरीद किया जाकर होलसेल में विक्रय किया जाता है। इसी प्रकार ही अप्रार्थी फर्म द्वारा Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) द्वारा निर्मित कन्फैक्शनरी जरिए बिल खरीद कर, जिस अवस्था में माल आता है, उसी अवस्था में माल विक्रय किया जाता है। इस प्रकार से अप्रार्थी फर्म द्वारा किसी प्रकार की कोई मिलावट उत्पाद में नहीं की जाती। अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और निर्दोष है। परिवादी द्वारा एक ही समय में अप्रार्थी की फर्म की दो वस्तुओं स्ट्रॉबरी जैली व टॉफी के अलग-अलग सैम्पल लिए गए और अलग-अलग परिवाद पेश करके भी एक कानूनी भूल की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी जो कि निर्दोष है, वह लोक अदालत की भावना से ताकि बिना वजह मुकदमेबाजी में रहकर समय बर्बाद न हो, इस कारण इस स्थिति को देखते हुए उपरोक्त प्रकरण को निस्तारण करवाना चाहता है, जो कि श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्मतारण फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk) का सैम्पल K-1715 जांच रिपोर्ट क्रमांक:- L.S./414/Act/2023/414 Dated 06.04.2023 द्वारा Sub-standard Food & Misbranded Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और निर्दोष है। परिवादी द्वारा एक ही समय में अप्रार्थी की फर्म की दो वस्तुओं स्ट्रॉबरी जैली व टॉफी के अलग-अलग सैम्पल लिए गए और अलग-अलग परिवाद पेश करके भी एक कानूनी भूल की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी जो कि निर्दोष है, वह लोक अदालत की भावना से ताकि बिना वजह मुकदमेबाजी में रहकर समय बर्बाद न हो, इस कारण इस स्थिति को देखते हुए उपरोक्त प्रकरण को निस्तारण करवाना चाहता है, जो कि श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्मतारण फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Sugar Boiled Confectionary(amber Daily Milk)" bearing Code No and Sr. No. K-1715, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, Act-2011. The Sample is also Misbranded Food Under Section 3(1)(zf)(A)(i)(a) and 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।



Sur
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासक)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्तगण श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान (विकेता व प्रोपराईटर) मै० चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत सिंह कोलोनी, गली. न. 1, श्रीगंगानगर, श्री हितेश तुलसानी पुत्र श्री नारायण दास तुलसानी, नोमिनी आईसी मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि. एफ-17, बीछवाल इंडस्ट्रीज एरिया, बीकानेर और मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि. ई-126, इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, खारा, बीकानेर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्तगण श्री सन्नी चुघ पुत्र श्री चन्द्रभान (विकेता व प्रोपराईटर) मै० चुघ ट्रेडिंग कंपनी, 174 सुरजीत सिंह कोलोनी, गली. न. 1, श्रीगंगानगर, श्री हितेश तुलसानी पुत्र श्री नारायण दास तुलसानी, नोमिनी आईसी मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि. एफ-17, बीछवाल इंडस्ट्रीज एरिया, बीकानेर और मै. नगद नारायण एग्रो फूड्स प्रा.लि. ई-126, इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, खारा, बीकानेर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(रीना)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (पशा०)
श्री गंगानगर (राज.)